दूरभाष : 0771.2285352, 2285353(फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH
गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर – 492006
Govind Sarang Complex, 3rd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur -492006

क्रमांक डी–28016/1/2013–डीसीओ(छ.ग.)/ H/339 दिनांक– 01/06/2013

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय द्वारा निम्नानुसार एनपीआर एवं जनगणना 2011 (प्रथम चरण) के अभिलेखों एवं स्टील रैक्स को भोपाल से रायपुर लाने हेतु पंजीकृत फर्मों से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र	अभिलेख एवं स्टील रैक्स प्राप्ति स्थान	विवरण	संख्या
1	सेन्ट्रल जेल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल	एनपीआर एवं जनगणना 2011 के अभिलेख	लगभग 7500 से 8000 बाक्स (प्रत्येक बाक्स का वजन लगभग 10 – 12 कि.ग्रा.)
		स्टील रैक्स	लगभग 250 से 300 नग

नियम व शर्ते –

1. सेन्ट्रल जेल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल में रैक्स एवं अभिलेखो का अवलोकन कर लोडिंग, अनलोडिग एवं ट्रांसपोटेशन इत्यादि सहित दर प्रस्तुत किया जाना है। उक्त अभिलेखों का अवलोकन कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक जनगणना कार्य निदेशालय म.प्र. जनगणना भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल से संपर्क कर किया जा सकता है। उपरोक्त **दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 6 महीने तक होगी।**
2. उपरोक्त कार्य सम्पादन हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/फर्मो को निविदा के साथ नियमानुसार हेतु सुरक्षा निधि (EMD) जमा करना होगा। सुरक्षा निधि की राशि उपरोक्त कार्य सम्पादन हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत दर का 3 प्रतिशत होगी जो एकाउट पेयी डिमांड ड्राफट के रूप में किसी राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निदेशक, डी.सी.ओ. छत्तीसगढ़ रायपुर (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) के नाम से जारी तथा रायपुर में देय हों।

3. भोपाल में स्टील रैक्स को खोलकर (dismantle करके) लाया जाना होगा तथा रायपुर में स्टील रैक्स को स्थापित कर स्टील रैक्स पर परिवहन किये गये अभिलेखो को इस कार्यालय के निर्देशानुसार यथा स्थान पर व्यवस्थित तरीखे से रखवाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।

4. परिवहन किये जाने वाले अभिलेख महत्वपूर्ण अभिलेख है जिन्हें भोपाल से रायपुर सुरक्षित/व्यवस्थित तरीके से लाये जाने एवं बरसात के पानी से बचाव की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि इन अभिलेखों की किसी भी प्रकार से क्षति न होने पाये एवं जिन ट्रकों से इन अभिलेखों का परिवहन किया जावेगा उसमें इन अभिलेखों के अलावा और किसी भी प्रकार का सामान का परिवहन नहीं किया जायेगा।

5. अभिलेखों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिन ट्रकों पर इन अभिलेखों को परिवहन किया जायेगा उन्हें भोपाल में सीलबंद किया जायेगा एवं रायपुर पहुॅचने पर इस कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा उक्त सील को खोला जावेगा। फर्म के प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करना होगा कि सील रायपुर पहॅुचने तक यथावत् रहे तथा रास्ते में सील के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड न हो।

6. परिवहन के दौरान वाहन खराब होने या किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति में तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करके अभिलेखो का परिवहन किया जाना होगा।

7. कार्य आदेश जारी होने के 20 दिनो के भीतर रैक एवं अभिलेखो को भोपाल से रायपुर लाकर व्यवस्थित रखा जाना होगा।

8. उक्त अभिलेखो को भोपाल से रायपुर सुरक्षित तरीके से परिवहन कर के इस कार्यालय द्वारा बताये गये स्थान पर व्यवस्थित तरीखे से रखवाने के पश्चात् भुगतान हेतु देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

9. उपरोक्त कार्य हेतु कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

10. अभिलेखो को किसी भी प्रकार की क्षति होने एवं निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत EMD को जब्त किया जा सकता है।

11. निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा जमा करने/खोलने की तिथि–

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ में दिनांक 17/6/12 को दोपहर 2.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। दिनांक 17/6/12 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय के क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा। निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(जोस टी.वर्गिस)
उप निदेशक